संख्याः 4 /2020/270/छिहत्तर–1–2020–87सम /2017

प्रेषक,

अनुराग श्रीवास्तव,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अधिशासी निदेशक
राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
लखनऊ।

नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग–1 **लखनऊः दिनॉक 05 फरवरी, 2020**

विषय– प्रदेश के बुन्देलखण्ड क्षेत्र, विन्ध्य क्षेत्र तथा गुणता प्रभावित ग्रामों में पेयजल की विभिन्न परियोजनाओं का क्रियान्वयन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के बुन्देलखण्ड क्षेत्र, विन्ध्य क्षेत्र तथा गुणता प्रभावित ग्रामों में पेयजल की विभिन्न परियोजनाओं के क्रियान्वयन का निर्णय लिया गया है। तत्क्रम में सम्पूर्ण प्रदेश में चरणबद्ध रूप से पेयजल योजनायें संरचित कर शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाना है। परियोजनान्तर्गत बुन्देलखण्ड और विन्ध्य क्षेत्र की समस्त आबादी तथा आर्सेनिक/फ्लोराइड एवं जापानी इन्सेफ्लाइटिस (जे.ई.)/एक्यूट इन्सेफ्लाइटिस सिंड्रोम (ए.ई.एस.) से ग्रस्त समस्त आबादी को प्रथमतः चरणबद्ध रूप से शुद्ध पाइप पेयजल परियोजना से आच्छादित किया जायेगा।

2– उक्त के क्रम में योजना के क्रियान्वयन हेतु प्रथमतः विन्ध्य एवं बुन्देलखण्ड योजना के स्कोप ऑफ वर्क और फिजीबिलिटी का कार्य पूर्ण कराया गया। योजना के क्रियान्वयन हेतु रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल (आर0एफ0पी0) निर्गत करते हुए बुन्देलखण्ड के 07 एवं विन्ध्य क्षेत्र के 02 कुल 09 जनपदों में कुल 545 डी0पी0आर0 तैयार किये गये। योजना के क्रियान्वयन किये जाने हेतु प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट कन्सलटेन्ट (पी0एम0सी0) का चयन भी कर लिया गया है।

3– प्रश्नगत योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु निम्नाकित कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया हैः–

(क) परियोजना के निर्माण हेतु कार्यदायी फर्मो के चयन हेतु संलग्न माडल बिड डाक्यूमेन्ट में निम्नलिखित बिन्दुओं को समाहित करते हुए अंगीकृत किया जाय :–

(1) माडल बिड डाक्यूमेंट में योजनाओं के 10 वर्ष तक संचालन एवं अनुरक्षण कार्यदायी फर्मो द्वारा किये जाने का प्राविधान किया जाय।

(2) मोबिलाइजेशन एडवांस की धनराशि के 110 प्रतिशत धनराशि की बैंक गारण्टी के सापेक्ष कार्यदायी फर्मो को 10 प्रतिशत मोबिलाइजेशन एडवांस, 10 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की देयता के साथ भुगतान का प्राविधान किया जाय। उक्त मोबिलाइजेशन एडवांस की धनराशि का समायोजन आगामी प्रत्येक बिल से 20 प्रतिशत की धनराशि कटौती करते हुए पूर्ण धनराशि का समायोजन किया जाएगा।

(ख) माडल बिड डाक्यूमेन्ट में विभिन्न परियोजनाओं की विशिष्टियों के अनुरूप बिल आफ क्वांटिटी (बी.ओ.क्यू.) तथा अन्य विशिष्टियों के अनुरूप कस्टमाइजेशन मिशन निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा पी0एम0सी0 के सहयोग से किया जायेगा।

(ग) यदि माडल बिड डाक्यूमेंट में किसी विशेष संशोधन की अपरिहार्यता हो तो शासन की अनुमति से किया जायेगा।

4– अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत योजना के कियान्वयन हेतु उपर्युक्त अपेक्षित कार्यवाहियाँ समयबद्ध रूप से शीर्ष प्राथमिकता पर सुनिश्चित करायें। योजना की प्रगति आख्या शासन को भी नियमित रूप से उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय,

(अनुराग श्रीवास्तव)
प्रमुख सचिव।

संख्या-4 / 2020 / 270(1) / छिहत्तर–1–2020–87सम / 2017, तद्दिनांक

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

(1) प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश।
(2) स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
(3) प्रधान निजी सचिव, मा0 मंत्री, जल शक्ति विभाग, उत्तर प्रदेश।
(4) कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
(5) अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव, वित्त विभाग / नियोजन, नगर विकास, ग्राम्य विकास, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास, लोक निर्माण तथा सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उत्तर प्रदेश शासन।
(6) मण्डलायुक्त, विन्ध्याचल मण्डल / झांसी / चित्रकूटधाम मण्डल, उत्तर प्रदेश।
(7) जिलाधिकारी–झांसी,जालौन,हमीरपुर, महोबा, चित्रकूट,बांदा,ललितपुर,मीरजापुर एवं सोनभद्र।
(8) गोपन अनुभाग–1 को उनके अशासकीय पत्र संख्या–4 / 2 / 4 / 2020–सी0एक्स0 (1) दिनांक 05 फरवरी, 2020 के क्रम में अवगतार्थ प्रेषित।
(9) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(डा0 अम्बरीष कुमार सिंह)
अनु सचिव।